

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2565/2026**

आशुतोष पांडेय उर्फ झिनन आवेदक(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : अशोक कुमार शुक्ला, रिपु दमन शाही,
उपेंद्र कुमार सिंह

विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, अभिषेक प्रताप सिंह,
अनिल कुमार वर्मा, चंदन श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. डी. शाही और राज्य के विद्वान
अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह जमानत आवेदन, आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 65/2026, अंतर्गत धारा 140(2), 308(5), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना- नवाबगंज, जिला- गोंडा में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना की तारीख से 14 दिन बाद पीड़ित के दूसरे बयान के आधार पर आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उक्त बयान में पीड़ित ने आवेदक की संलिप्तता के बारे में आशंका व्यक्त की थी। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक की संलिप्तता के बारे में आशंका थी और आरोप पत्र पहले ही दायर की जा चुकी है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह 09.03.2026 से जेल में है, वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए वह जमानत का हकदार है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक की संलिप्तता पाई गई है। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि आवेदक की संलिप्तता अपहृत व्यक्ति के दूसरे बयान में पाई गई थी, जो 17.03.2026 को दर्ज किया गया था।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और जमानत आवेदन की सामग्री तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि पीड़ित के दूसरे बयान में आवेदक की संलिप्तता दर्शाई गई है। इसलिए, यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपरोक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक **आशुतोष पांडे उर्फ झिनन**, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जिसका उस पर आरोप है या संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक को विचारणीय न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय न्याय संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारणीय न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारणीय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

8 जून, 2026

अर्पण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।